न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 32A/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मूर्ति मंदिर श्री सीताराम जी महाराज विराजमान ग्राम बडौदामेव नाबालिग जरिये सरपरस्त श्रीमन नारायण, शंकराचार्य, कैलाश, इन्द्रावतार पुत्रान श्री भगवानसहाय शर्मा व राजेन्द्र शर्मा, मुकेश शर्मा पुत्रान स्व0 श्री बाबूलाल शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासीयान बडौदामेव, तहसील लक्ष्मणगढ

..... अपीलांट

बनाम

1. कृषि उपज मण्डी समिति, बडौदामेव जरिये अध्यक्ष श्री फूलचन्द मीणा कृषि उपज मण्डी समिति, बडौदामेव
2. निदेशक कृषि विपणन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, अलवर
4. मुख्य अभियन्ता, कृषि विपणन विभाग जयपुर

..... रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री दाताराम गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री चैन नारायण गुप्ता, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–26.02.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 02.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत आराजी हाल खसरा नंबर 922, 1535, 1538, 1531, 1534, 878/1, 878/2, 889, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396 वाके ग्राम बडौदामेव तहसील लक्ष्मणगढ, पेश किया। उक्त वाद में प्रतिवादीगण की ओर से जबाव दावा व जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद विचारण के दौरान कृषि उपज मण्डी की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी प्रस्तुत किया कि वादी अपीलांट को मौजूदा वाद के लिये कोई बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा नही होती है एवं वादीगण अपीलांट ने नोटिस की मियाद समाप्त होने से पूर्व ही वाद न्यायालय में दायर कर दिया था एवं विवादित आराजी की बाबत पूर्व में वाद निर्णय हो चुका है इसलिये वादीगण का वाद पूर्व न्याय से ग्रसित होने के कारण आदेश 07 नियम 11 जा.दी के तहत खारिज फरमाया जावे।

BL

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अपने आदेश दिनांक 02.05.2018 द्वारा स्वीकार कर वादीगण का दावा खारिज कर दिया। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि रेस्पो0 की ओर से वाद में जबाव दावा प्रस्तुत किया गया था जिस जबाव दावे में प्रतिवादी की ओर से जो एतराज प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा.दी में उठाये गये हैं, वो ऐतराज जबाव दावे में दर्ज नही हैं। कानूनन प्रतिवादी को अपने समस्त ऐतराजात जबाव दावे में लेने चाहिये थे और उनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को विवाद्यक बिंदु कायम करते हुये आदेश पारित करना चाहिये था। जहां तक वादीगण के वाद का पूर्व न्याय से ग्रसित होने का प्रश्न है, यह सही है कि वादीगण द्वारा विवादित आराजी की बाबत पूर्व में एक वाद प्रस्तुत किया था जिस वाद में प्रतिवादीगण के खिलाफ यह अनुतोष मांगा गया था कि विवादित आराजी की बाबत जो इन्द्राज उक्त वाद में दर्ज प्रतिवादीगण के नाम पर राजस्व अभिलेख में किया गया है, को कलमजन करते हुये मूर्ति मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज बडौदामेव को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा उक्त वाद दिनांक 27.05.2006 को डिक्री किया जा चुका है, एवं विवादित आराजी की बाबत मूर्ति मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज को खातेदार घोषित किया जा चुका है और मूर्ति मन्दिर का पुजारी श्री बाबूलाल पुत्र श्री भगवानसहाय को माना गया है, जिस डिक्री के खिलाफ उक्त वाद के प्रतिवादीगण द्वारा एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में दायर की हुई है जो कि विचाराधीन है। उक्त अपील में इस न्यायालय ने गलत तौर पर साहब तहसीलदार लक्ष्मणगढ को मूर्ति मन्दिर का सरपरस्त नियत कर दिया था, जिसके खिलाफ एक निगरानी वादीगण अपीलांटस की ओर से राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में दायर की हुई है। इस प्रकार मौजूदा वाद के तथ्य व पूर्व वाद के तथ्य भिन्न हैं और हर दो वाद के लिये बिनायदावी व बिनायमुखास्मत भी अलग अलग पैदा होती है, एवं पूर्व वाद में मौजूदा वाद के प्रतिवादीगण पक्षकार नही थे, इन हालात में वादीगण के मौजूदा वाद को पूर्व न्याय से ग्रसित होने के कारण खारिज नही किया जा सकता था। प्रतिवादीगण का उक्त ऐतराज कि वादीगण का वाद पूर्व न्याय से ग्रसित है, आदेश 07 नियम 11 जा.दी की परिधि में नही आता है, और इस आधार पर वादीगण का वाद खारिज नही फरमाया जा सकता था। अपीलांट नैसर्गिक न्याय से वंचित रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि दावा वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया था जबकि मूर्ति मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज का दावा दिनांक 27.05.2006 को डिक्री किया जा चुका है। उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश की जहां प्रार्थना पत्र आदेश 32 नियम 11 जा.दी के तहत दिनांक 03.06.2015 को मूर्ति मन्दिर को शास्वत अवयस्क मानी जाकर तहसीलदार को सरपरस्त नियुक्त किया गया।

SL

राज्य सरकार द्वारा भी मन्दिर प्रबंध कमेटी में तहसीलदार को ही अध्यक्ष बनाया गया है। वादीगण को कानूनी रूप से दावा लाने का अधिकार नही था और दावे में वर्णित आराजी से भी वादीगण का कोई सरोकार नही है। वादीगण अपीलांट का कब्जा काश्त भी नही है। चूंकि जब तहसीलदार को मन्दिर मूर्ति का सरपरस्त नियुक्त किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में वादीगण को विनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा नही होती है। दावा भी प्री–मैच्योर था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटि रहित एवं मुताबिक कानून विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा रेकार्ड एवं पेश दस्तावेज व साक्ष्यों का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया।

तहत अदालत ने वाद दो आधार पर खारिज किया है। प्रथम, वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध 60 दिवस कानूनी नोटिस के पूर्व ही दावा दायर किया है जो प्रीमैच्योर दावा है। द्वितीय, वादी मूर्तिमंदिर का सरपरस्त न होकर तहसीलदार है, इस कारण वाद लाने का अधिकार नही है।

रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध 60 दिवस का नोटिस दिये जाने से पूर्व ही दावा दायर किया गया है। राजस्थान कृषि उपजमंडी कानून की धारा 31 "नोटिस के अभाव में दावा करने पर प्रतिबंध" में राजस्थान कृषि उपज मंडी के विरूद्ध वाद दायर से पूर्व 60 दिवस का नोटिस मय वादपत्र की प्रतिलिपि दिया जाना आवश्यक है अन्यथा वाद प्रीमैच्योर माना जावेगा। इस प्रकरण पर प्रतिपादित सिद्धान्त बी.एल.चौपडा बनाम पंजाब स्टेट 1961 पंजाब 150 के दृष्टान्त चस्पा होते हैं। इस प्रकार तहत अदालत द्वारा वाद को सही रूप से विधिक दृष्टि से खारिज किया है।

द्वितीय, मूर्ति मंदिर की ओर से वाद लाने का अधिकार वाद मित्र का होता है। प्रस्तुत वाद में मूर्ति मंदिर की ओर से शंकराचार्य कैलाश, इन्द्रावतार पुत्रान भगवान सहाय व राजेन्द्र शर्मा, मुकेश शर्मा पुत्रान स्व0 श्री बाबूलाल की ओर से पेश किया गया है, परन्तु मंदिर ओर से संरक्षक वाद मित्र न्यायालय हाजा के प्रकरण बउनवान प्रेमचंद बनाम मूर्तिमंदिर में तहसीलदार लक्ष्मणगढ को सरपरस्त माना गया था, जिसके विरूद्ध वादी/अपीलांट द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर में निगरानी टी.ए संख्या 35662/2012 पेश की हुई है। पत्रावली पर ऐसा कोई प्रमाण नही है कि उसमें स्थगन है। इस प्रकार मूर्ति मंदिर की ओर से सरपरस्त का निर्णय माननीय राजस्व मंडल, राजस्थान के होने से पूर्व अपील बउनवान प्रेमचन्द बनाम मूर्तिमंदिर दिनांक 03.06.2015 को ही अन्तिम माना जाकर तहत अदालत द्वारा विधिक रूप से वाद खारिज किया है।

इसके अतिरिक्त कानून में कहीं भी प्रावधान नही है कि मूर्ति मंदिर की भूमि को अवाप्त नही किया जा सकता है। हां, यह जरूर है कि उसकी तरफ से मुआवजा का हकदार कौन होगा, यह अपीलांट/वादी द्वारा दायर निगरानी टी.ए 35662/2012 से निर्धारण होगा। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिज खारिज के है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 02.05.2018 यथावत रखा जाता है। तदनुसार पर्चा–डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर